07.01.22	पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार धौलपुर) से टिप्पणी प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 18.06.2021 को आर0टी0आई0 के तहत दो आवेदन प्रस्तुत किये थे, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट की वांछित सूचना अंकित नहीं करते हुए जबाब दिया है, जबकि अपीलाण्ट द्वारा वांछित सूचना की हूबहू नकल करते हुए जबाब में पहले उसको लिखा जाकर तत्पश्चात् ही सम्बन्धित बिन्दु का जबाब दिया जाना चाहिए। पत्रांक 1512 दिनांक 13.07.2021 के जरिये जो सूचना दी गई है, उस पर अपीलाण्ट की आपत्ति निम्नानुसार है कि जबाब के बिन्दु संख्या 1 में सूचना प्रश्नात्मक होने एवं उसका पूर्ण विवरण ना होने से प्रशासनिक सुधार विभाग परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार काल्पनिक प्रश्नों का जबाब दिया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रश्नात्मक सूचना के बारे में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या सी0आई0सी0 /एस0जी0/ ए/ 2008/ 00347+00277 उनवान टी0बी0 दोरजीवाला बनाम लोक सूचना अधिकारी आई0आई0टी0 बम्बई निर्णय दिनांक 09.02.2009 द्वारा शैलेष गांधी सूचना आयुक्त में निर्णीत किया गया है कि आर0टी0आई0 एक्ट में कहीं यह वर्णन नहीं है कि आवेदन के अन्तर्गत प्रश्नों का जबाब नहीं दिया जाये, न ही यह लिखा है कि प्रश्नात्मक क्यों, क्या और कब आदि से आरम्भ होने वाले प्रश्नों का जबाब नहीं दिया जा सकता है। निर्णयानुसार यदि प्रश्नात्मक सूचना का जबाब/उत्तर उपलब्ध है तो सूचना दी जावे। यदि उपलब्ध नहीं है तो इस तथ्य का स्पष्ट अंकन लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जबाब में किया जावे। अपीलाण्ट द्वारा सूचना चाही गई कि जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी निरीक्षण 21.12.20 के दौरान तहसीलदार धौलपुर को सम्बन्धित न्यायालय प्रकरण संख्या 11/2019 उनवान सरकार बनाम रश्मि मिततल में निर्णय दिनांक 02.11.2020 से सम्बन्धित भूमि का मौका निरीक्षण हेतु आदेशित किया था अथवा नहीं। यदि तहसीलदार धौलपुर या उसके प्रतिनिधि द्वारा जिला कलक्टर धौलपुर के निरीक्षण के दौरान उनके निर्देश पर सम्बन्धित भूमि का निरीक्षण किया हो तो मौका निरीक्षण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं यदि कोई मौका निरीक्षण रिपोर्ट

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

बनाई/प्रेषित की गई हो तो उसकी भी प्रति चाही गई थी। उक्त सूचना काल्पनिक नहीं है प्रत्येक वांछित सूचना का जबाब निश्चयात्मक होने से आर0टी0आई0 के दायरे के अन्दर है। अतः वांछित सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार धौलपुर ने अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर जबाब दिया है कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 18.06.2021 को सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.06.. 2021 को प्राप्त हुए। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.06. 2021 का जबाब पत्रांक सू0अधि0/2021/ भू0–अ0/1512 दिनांक 13.07.21 द्वारा बिन्दुवार दिया जा चुका है। अपील के बिन्दु संख्या 1 में अपीलार्थी द्वारा अंकित किया है सर्वप्रथम वांछित सूचना की हूबहू नकल करते हुए जबाब दिये जावे, इस सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आवेदक को सूचना दिये जाने हेतु नियमों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार दी जाने वाली सूचना का बिन्दु संख्या ही अंकित करने का प्रावधान है आवेदक द्वारा क्या सूचना बिन्दु अंकित किये है, और उन्हें बिन्दु संख्या अंकित करते हुए बिन्दुवार सूचना दी गई है। अपीलाण्ट की उक्त आपत्ति खारिज योग्य है।

संदर्भित पत्र कमांक 1512 दिनांक 13.07.2021 में भलिभांति स्पष्ट है कि उक्त पत्र में वर्णित सूचना अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.. 06.2021 दिनांक (दिनांक 22.06.2021 को प्राप्त) से ही सम्बन्धित है उक्त उल्लेख संदर्भित पत्र 1512 दिनांक 13.07.2021 में स्पष्ट अंकित करते हुए अपीलाण्ट को बिन्दुवार सूचना दी गई है। अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 18.06.2021 (दिनांक 22.06.2021 को प्राप्त) के बिन्दु संख्या 1 में जो सूचना चाही है उन बिन्दुओं में आवेदक द्वारा स्वयं ही प्रश्नवाचक चिन्ह अंकित किये जो अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत आवेदन की प्रति से स्पष्ट जाहिर है और प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राज0 जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(22) प्र0सु0/सु0अप्र0/06/ दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार काल्पनिक प्रश्नों/प्रश्नवाचक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(ख) के अनुसार आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन करना चाहिए किन्तु अपीलाण्ट द्वारा आवेदन के बिन्दु संख्या 1 (1) में मांगी गई सूचना की विशिष्टियां अंकित नहीं करते हुए प्रश्नवाचक तथ्य अंकित करते हुए सूचना चाही गई है जो अपीलाण्ट को नहीं दी जा सकती है। अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचना पूर्णतया काल्पनिक थी उनके द्वारा नियम 6 (ख) के तहत

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज)

मांगी सूचना की विशिष्टियां अंकित नहीं की गई थी। अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलाण्ट को दिया जाना संभव नहीं है। सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत– प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों का अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों का स्वयं के द्वारा सत्यापन करना आवश्यक है किन्तु अपीलाण्ट द्वारा स्वयं की अपील में वर्णित बिन्दुओं के सत्यापन का प्रमाण अंकित नहीं किया है। अपील सत्यापन के अभाव में पोषणीय नहीं है और खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली एवं तहसीलदार टिप्पणी का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने अपनी अपील में आपत्ति की है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो सूचना भिजवाई है उसमें उनके द्वारा चाही गई सूचना हूबहू नहीं लिखी है। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना दिये जाने के प्रारूप में स्पष्ट अंकित है कि अपीलाण्ट के द्वारा चाही गई सूचना का बिन्दु ही अंकित कर सूचना का जबाब दिये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सूचना निर्धारित प्रारूप में ही है। अतः अपीलाण्ट की सूचना प्रारूप के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है।

अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार धौलपुर ने जरिये पत्रांक 1512 दिनांक 13.07.2021 द्वारा अपीलाण्ट को सूचना से अवगत कराया जा चुका है कि बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 प्रश्नात्मक है। एवं बिन्दु संख्या 4 की सूचना उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट ने बिन्दु संख्या 1 के बाबत् अपील प्रस्तुत की है कि प्रश्नात्मक सूचना का जबाब/उत्तर उपलब्ध होने लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट को सूचना दी जानी चाहिए, अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचना निश्चियात्मक होने के कारण आर0टी0आई0 के दायरे में है। लोक सूचना अधिकारी ने कथन किया है कि अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचना में विशिष्टियां विनिर्दिशिष्ट ना करते हुए प्रश्नात्मक सूचना चाही गई है।

सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत– प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन में अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों का स्वयं के द्वारा सत्यापन करना आवश्यक है किन्तु अपीलाण्ट द्वारा स्वयं की अपील में वर्णित बिन्दुओं के सत्यापन का प्रमाण अंकित नहीं किया है। अपील सत्यापन के अभाव में पोषणीय नहीं है।

"प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राज0 जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(22) प्र0सु0/सु0अप्र0/06/ दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार काल्पनिक प्रश्नों/प्रश्नवाचक प्रश्नों का उत्तर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

3 के अनुसार काल्पनिक प्रश्नों/प्रश्नवाचक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है।''

अपीलाण्ट ने बिन्दु संख्या 1 में जो सूचना चाही गई है उसमें अपीलाण्ट ने स्वयं प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया है। और उनके द्वारा जो कानूनी नजीरें पेश की है उनमें भी प्रश्नवाचक सूचना का जबाब लोक सूचना अधिकारी पर सूचना उपलब्ध होने पर सूचना दिये जाने का कथन किया है। अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है उक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है।

अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक, लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध ना होने एवं अपीलाण्ट द्वारा अपील सत्यापित नहीं होने से पोषणीण नहीं होने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति, एवं लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी की प्रति अपीलान्ट को सूचनार्थ उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)